धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना जिसमें उक्त अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत किए गए जोड़/अस्वीकृति लेकिन धारा 115 ञख/115जेसी के तहत प्रावधानों के तहत लगाए गए कर, आकलन वर्ष 2016-17 से पहले के मामलों के लिए

परिपत्र संख्या 25/2015 [एफ.सं.279/MISC./140/2015/ITJ], दिनांक 31-12-2015

अधिनियम की धारा 115ञख, कम्पनियों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाने के लिए एक विशेष प्रावधान है, जिसे वित्त अधिनियम, 2000 द्वारा 1-4-2001 से सम्मिलित किया गया है।

2. अधिनियम की धारा 271 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के अंतर्गत, आय छिपाने या आय का गलत विवरण प्रस्तुत करने पर जुर्माना "अपवंचित किए जाने वाले कर की राशि" के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसे अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित आय पर देय कर और उस कर के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस स्थिति में देय होता यदि ऐसी कुल आय में से छिपाई गई आय की राशि या उस आय को घटा दिया जाता जिसके संबंध में गलत विवरण दाखिल किए गए थे।

3. इस संदर्भ में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नलवा संस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (एनजेआरएस में 2010-एलएल-0826-2 के रूप में उपलब्ध) के मामले में आईटीए संख्या 1420/2009 [2010] 194 टैक्समैन 387 (दिल्ली) में दिनांक 26-8-2010 के अपने निर्णय में यह माना कि जब सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत गणना की गई आय पर देय कर, अधिनियम की धारा 115 ञख के मान्य प्रावधानों के अंतर्गत देय कर से कम है, तो सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत किए गए परिवर्धन/अस्वीकृति के संदर्भ में अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। निर्णय अंतिम हो गया है।

4. तत्पश्चात, अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के प्रावधानों को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जो उन स्थितियों के लिए भी, जहाँ सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित आय अधिनियम की धारा 115 ञख के अंतर्गत MAT के प्रयोजन हेतु घोषित आय से कम है, कर अपवंचन की राशि की गणना करने की विधि प्रदान करता है। प्रतिस्थापित स्पष्टीकरण 4, 1-4-2016 से भावी रूप से लागू है।

5. तदनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और अधिनियम की धारा 271 के स्पष्टीकरण 4 के भावी प्रभाव से प्रतिस्थापन के मद्देनजर, अब यह स्थापित स्थिति है कि 1-4-2016 से पहले, जहां अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत गणना की गई कुल आय पर देय आयकर अधिनियम की धारा 115ञख के तहत बही लाभ पर देय कर से कम है, तो अधिनियम की धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना सामान्य

प्रावधानों के तहत किए गए परिवर्धन/अस्वीकृति के संदर्भ में आकर्षित नहीं होगा। यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि 1-4-2016 से पहले के मामलों में, यदि एमएटी के प्रयोजन के लिए गणना की गई आय में कोई समायोजन किया जाता है, तो अधिनियम की धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना लगाना समायोजन की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

6. अधिनियम की धारा 115 ञग के संबंध में भी उपरोक्त स्थापित स्थिति का पालन किया जाना है।

7. तदनुसार, बोर्ड एतद्द्वारा निर्देश देता है कि इस आधार पर अब से कोई अपील दायर न की जाए और इस मुद्दे पर विभिन्न न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में पहले से दायर अपीलें, यदि कोई हों, वापस ली जाएँ/उन पर दबाव न डाला जाए। यह बात सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।